



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-612/DL/5/2022-APCR

दिनांक :06/05/2024

प्रति

श्रीमती ललिता उरांव,
प्लॉट नंबर 278, 2nd फ्लोर,
फ्लैट नंबर 301, विपिन गार्डन,
राजा पार्क, उत्तम नगर,
नई दिल्ली -110059
मोबाइल नंबर :9667038600

विषय : मारपीट करने, जाती सूचक शब्दों से गली गलोच करने, जान से मारने के धमकी देने व सामान चुराने के सम्बन्ध में

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **10-05-2024 समय 03:00 P. M.** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)
उप निदेशक/ Deputy Director
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in